रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-09022021-225017
CG-DL-W-09022021-225017

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 01] नई दिल्ली, जनवरी 31— फरवरी 6, 2021, शनिवार/ माघ 11— माघ 17, 1942

No. 01] NEW DELHI, JANUARY 31— FEBRUARY 6, 2021, SATURDAY/ MAGHA 11— MAGHA 17, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2021

का.नि.आ.01.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय (नौसेना), में पुस्तकालय और सूचना अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, नौसेना, पुस्तकालय और सूचना अधिकारी (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2021 हैं।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबंद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ 4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि .—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हे लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों भूतपुर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. पुस्तकालय और सूचना अधिकारी	01 (2021)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, अननुसचिवीय, समूह 'क' राजपत्रित।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (रु. 67700-208700).	चयन पद

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति**: सीधे भर्ती या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	**आयु:** लागू नहीं होता। **शैक्षिक योग्यता**: लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: ऐसा पुस्तकलाय और सूचना सहायक जिन्होंने वेतन स्तर -7, (रु. 44900-142400) में उस श्रेणी में सात वर्ष नियमित सेवा की हो और पुस्तकालय और पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में 2 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण 1**:- जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रह हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबन्ध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2**:- प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग मे इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3**:- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 4**:- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):- केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वशासी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था या अनुसंधान संस्था के ऐसे अधिकारी;	**विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे**:- 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष; 2. संयुक्त सचिव (नौसेना), रक्षा मंत्रालय - सदस्य; 3. निदेशक,सिविलियन कार्मिक , एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रलाय (नौसेना) - सदस्य **विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टीकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे**:- 1. संयुक्त सचिव (नौसेना), रक्षा मंत्रालय - अध्यक्ष; 2. निदेशक सिविलियन कार्मिक, एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना) - सदस्य 3. अवर सचिव, रक्षा मंत्रालय - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होनें मूल संवर्ग या विभाग में, वेतन मैट्रिक्स में स्तर -10 (56100-177500 रु) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पाँच वर्ष सेवा की हो; या (iii) जिन्होनें मूल संवर्ग या विभाग में, वेतन मैट्रिक्स में स्तर -9 (53100-167800 रु) या स्तर-8 (47600-151100 रु) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात छह वर्ष की सेवा की हो; या (iv) जिन्होनें मूल संवर्ग या विभाग में, वेतन मैट्रिक्स में स्तर -7 (44900-142400 रु) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात सात वर्ष सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हो: **आवश्यक:** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविध्यालय से पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री। (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त या कानूनी संगठन/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/ विश्वविद्यालय या किसी मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थान के पुस्तकालय में पाँच वर्ष का वृत्तिक अनुभव हो। **वांछनीय**: (i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त या कानूनी संगठन/ पब्लिक सेक्टर उपक्रमों / विश्वविद्यालय या किसी मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थान के पुस्तकालय में पुस्तकालय संबंधी क्रियाकलाप के कम्प्यूटरीकरण का एक वर्ष का अनुभव हो। (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान के कम्प्युटर उपयोजन में डिप्लोमा।		

[फ़ा. सं. सीपी (जी)/0667/आर आर/एलआईओ/ 22 /रक्षा (नियुक्तियाँ)/2021]

देवेन्द्र कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 27th January, 2021

S.R.O. 01.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Library and Information Officer in the Ministry of Defence (Navy), namely:-

1. **Short title and commencement**.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Navy, Library and Information Officer (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix**.— The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc**.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification**.—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax**.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving**.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Library and Information Officer	01(2021) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Non-Ministerial, Gazetted, Group 'A'	Level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700)	Selection post

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	**AGE:** Not applicable. **Educational Qualification:** Not applicable.	Two years

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made
(10)	(11)
Promotion failing which deputation including short term contract.	**Promotion:** Assistant Library and Information Officer in level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) with seven years regular service in the grade and successfully completed training of two weeks in the field of Library and Library Science. **Note 1** : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2** : The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3** : The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the date of receipt of applications. **Note 4 :** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Deputation (including short term contract) :** Officers of the Central Government or State Government or Union territories Administration or autonomous or statutory organisation or public sector undertaking or recognised University or institute or research institution; (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service rendered after appointment to the post on a regular basis in the level-10 in the pay matrix (Rs. 56100 – 177500) or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with six years service rendered after appointment to the post on a regular basis in the level-9 in the pay matrix (Rs. 53100 -167800) or Level-8 in the pay matrix (Rs. 47600 - 151100) or equivalent in the parent cadre or department; or (iv) with seven years service rendered after appointment to the post on a regular basis in the level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) or equivalent in the parent cadre or deparment; and (b) possessing the following educational qualification and experience: **Essential:** (i) Master Degree in Library and Information Science from a recognised University or institute. (ii) Five years professional experience in a Library under Central

	Government or State Government or autonomous or statutory organisation/public sector undertakings/University or a recognised research or educational institution. **Desirable:** (i) One year experience of computerising Library activities in a Library under Central Government or State Government or autonomous or statutory organisation / public sector undertakings/ University or recognised research or educational institution; (ii) Diploma in Computer Application from a recognised University or institute.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman; 2. Joint Secretary (Navy), Ministry of Defence - Member 3. Director of Civilian Personnel, Integrated Headquarters - Member. Ministry of Defence (Navy) **Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation)** **consisting of :-** 1. Joint Secretary (Navy), Ministry of Defence - Chairman; 2. Director of Civilian Personnel, Integrated Headquarters - Member; Ministry of Defence (Navy) 3. Under Secretary, Ministry of Defence - Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary on each occassion.

[F. No. CP(G)/0667/RR/LIO/ 22 /D(Apptts)/2021]

DEVENDRA KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2021

सा.का.नि. 02.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और आर्डनेंस और आर्डनेंस उपस्कर कारखाना, सिविलियन मोटर ड्राइवर (विशेष श्रेणी) समूह 'ख' अराजपत्रित, सिविलियन मोटर ड्राइवर (श्रेणी-1), सिविलियन मोटर ड्राइवर (श्रेणी-II), और सिविलियन मोटर ड्राइवर (साधारण श्रेणी) समूह 'ग' पद भर्ती नियम 2014 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, आर्डनेंस कारखाना बोर्ड मुख्यालय स्थापना के सिवाए आर्डनेंस कारखाना संगठन के अधीन आर्डनेंस और आर्डनेंस उपस्कर कारखाने और अन्य कार्यालयों तथा स्थापनाओं में सिविलियन मोटर ड्राइवर (विशेष श्रेणी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, आर्डनेंस और आर्डनेंस उपस्कर कारखाना, सिविलियन मोटर ड्राइवर (विशेष श्रेणी) समूह 'ख' अराजपत्रित भर्ती नियम, 2021 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भत्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—**भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया गया है या विवाह की संविदा की है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ; उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति .—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखाबद्ध करके **तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके** इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ें वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए सायु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिविलियन मोटर ड्राइवर (विशेष श्रेणी)	54 * (2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर – 6 (35400-112400/- रु.)	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विवित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा या विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर – 5 (29200-92300/-रु.) में ऐसे सिविलियन मोटर ड्राइवर श्रेणी-1 जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो और सुसंगत क्षेत्र में न्यूनतम दो सप्ताह का आज्ञापक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो । **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे के अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. ज्येष्ठ महाप्रबंधक या महाप्रबंधक या अपर महाप्रबंधक - अध्यक्ष; 2. संयुक्त महाप्रबंधक या उप महाप्रबंधक - सदस्य; 3. संयुक्त महाप्रबंधक या उप महाप्रबंधक - सदस्य; **विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** 1. ज्येष्ठ महाप्रबंधक या महाप्रबंधक या अपर महाप्रबंधक - अध्यक्ष; 2. संयुक्त महाप्रबंधक या उप महाप्रबंधक - सदस्य; 3. संयुक्त महाप्रबंधक या उप महाप्रबंधक - सदस्य ।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[फा.सं. 41(2)/2016-डी (स्था./एन.जी)]

सतिन्दर कौर, अवर सचिव

New Delhi, the 29th January, 2021

S.R.O. 02.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ordnance and Ordnance Equipment Factories Civilian Motor Driver (Special Grade) Group 'B' Non-Gazetted, Civilian Motor Driver (Grade - I), Civilian Motor Driver (Grade – II) and Civilian Motor Driver (Ordinary Grade) Group 'C' Posts, Recruitment Rules, 2014, in so far as they relate to the post of Civilian Motor Driver (Special Grade), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Civilian Motor Driver (Special Grade) in the Ordnance and Ordnance Equipment Factories and other offices and establishments under the Ordnance Factory Organisation except the Ordnance Factory Board Head Quarter Establishment, namely :-

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Ministry of Defence the Ordnance and Ordnance Equipment Factories Civilian Motor Driver (Special Grade) Group 'B', Non-gazetted, Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2 **Number of posts, classification and the level in the pay matrix.—**The number of the post, its classification, the level in the pay matrix attached thereto shall be specified in columns (2) to (4) of the schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the schedule.

4. **Disqualifications .—No person, -**

a. who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

b. who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post ;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Civilian Motor Driver (Special Grade).	54 * (2021) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'B' Non-gazetted, Non-ministerial.	Level-6 (Rs.35400-112400/-).	Selection.	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years	By promotion

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grade from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted
(11)	(12)	(13)
Promotion: Civilian Motor Driver Grade–I in level-5 (Rs.29200-92300/-) in the pay matrix with three years regular service in the grade and have successfully completed mandatory training of minimum two weeks in the relevant area. **Note** : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the	**Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :** 1. Senior General Manager or General Manager or Additional General Manager – Chairman ; 2 Joint General Manager or Deputy General Manager – Member ; 3. Joint General Manager or Deputy General Manager – Member. **Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :** 1. Senior General Manager or General Manager or Additional General Manager – Chairman ;	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their period of probation for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	2 Joint General Manager or Deputy General Manager – Member ; 3. Joint General Manager or Deputy General Manager – Member.	

[F. No. 41(2)/2016-D(Estt./NG)]

SATINDER KAUR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.02.09 16:06:53 +05'30'